SA-550(R)
सम्बद्ध पक्षकार

प्रश्नः 01 सम्बन्धित पक्षकारों से आप क्या समझते हैं?

उत्तरः SA-550(R) के अनुसार सम्बन्धित पक्षकार से आशय ऐसे पक्षकार से है जिन्हें या तो –

1. लागू होने वाले वित्तीय प्रतिवेदन संरचना में एक सम्बन्धित पक्षकार के रूप में परिभाषित किया गया है अथवा
2. जहॉ लागू होने वाली वित्तीय प्रतिवेदन संरचना न्यूनतम रूप से स्थापित है और सम्बन्धित पक्षकार की आवश्यकता नही है।
   (1) एक व्यक्ति अथवा अन्य उपक्रम जिसका एक अथवा अधिक मध्यस्थों के माध्यम से एक रिर्पोटिंग उपक्रम पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण और महत्वपूर्ण प्रभाव है।
   (2) अन्य उपक्रम जिस पर रिर्पोटिंग उपक्रम का एक अथवा अधिक मध्यस्थों के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण तथा महत्वपूर्ण प्रभाव है।
   (3) अन्य उपक्रम जो रिर्पोटिंग उपक्रम के साथ निम्न के सामान्य नियंत्रण के अन्तर्गत आते है।
   A. सामान्य नियंत्रण स्वामित्व
   B. स्वामी जो कि नजदीकी पारिवारिकी सहस्व है
   C. सामान्य कुँजी प्रबन्धन (Comman key management)
   यद्यपि वह उपक्रम जो एक राज्य (अर्थात् एक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय सरकार) के सामान्य नियंत्रण के अर्न्तगत आते है उन्हें सम्बन्धित नही माना जाएगा जब तक कि वह किसी अन्य के साथ एक महत्वपूर्ण लेन–देन में अथवा एक महत्वपूर्ण सीमा तक अंशो के स्त्रोतों में लिप्त नहीं होते।

प्रश्नः 02 सम्बन्धित पक्षकारों के संबंध में अंकेक्षक के क्या दायित्व हैं?

उत्तरः SA-550(R) के अनुसार सम्बन्धित पक्षकारों के संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य निम्न है।

1. उसका कर्तव्य यह देखने का होगा कि सभी वित्तीय विवरण संरचनाओं तथा वैधानिक मान्यताओं को जो कि संबंधित पक्षकारों से संबंधित है को पुरा कर लिया गया है। तथा सम्बन्धित पक्षकारों के साथ किए लेन–देन के लेखांकन तथा प्रकटीकरण से सम्बन्धित आवश्यकताओं का पालन किया गया है कभी–कभी वित्तीय प्रतिवेदन संरचना द्वारा सम्बन्धित पक्षकारों के प्रकटीकरण की आवश्यकता को स्थापित करता है तो उस दशा में अंकेक्षक का यह दायित्व होता है कि वह उन सारवान मिथ्यावर्णनों को पहचानने उनकी जोखिम का निर्धारण करने तथा प्रत्युत्तर देने के लिए अंकेक्षण प्रविधियों का निष्पादन करे जो संरचना की आवश्यकता के अनुसार उपक्रम द्वारा सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्ध, लेन–देन अथवा शेषो का उचित लेखांकन करने में असफल होने के कारण उत्पन्न होते है।
2. उपक्रम के सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्ध तथा लेन–देनों को समझने का दायित्व इस तथ्य से असंगत होकर की वित्तीय प्रतिवेदन संरचना इस बात को आवश्यक करे या न करे अंकेक्षक को उपक्रम के सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्धों तथा लेन–देन के बारे में समझ प्राप्त कर लेना चाहिए जो यह निष्कर्ष निकालने ने पर्याप्त हो कि क्या वे वित्तीय विवरण उन सम्बन्धों तथा लेन–देनों से प्रभावित हुए है –
   A. सत्य और उचित प्रस्तुतीकरण को प्राप्त करते है अथवा
   B. भ्रामक नहीं है
3. सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्ध में कपट के जोखिम के तत्वों का मुल्यांकन करने का दायित्व SA-240 की आवश्यकता के अनुसार अंकेक्षक को अपने मुल्यांकन के सम्बन्ध यह देखना चाहिए कि क्या एक अथवा एक से अधिक कपट के जोखिम के तत्व विद्यमान है क्योंकि तृतीय पक्षकारों द्वारा कपट आसानी से किया जा सकता है।
4. पेशेगत सतर्कता बरतने का दायित्व –
   इस संदर्भ में SA-240 के अनुसार सतर्कता बरतने का दायित्व और बढ़ जाता है एवं अंकेक्षक को संभावित अप्रकटीकृत संबंधित पक्षकारों के लिए अंकेक्षण योजना एवं कार्यक्रम से समय सतर्कता बरतनी चाहिये।

प्रश्नः 03 SA-550 के लिए वह कौनसी आवश्यकताएँ है जिनका पालन अंकेक्षक द्वारा किया जाना हैं?

उत्तरः चरण – 1 प्रबन्ध के पूछताछ –

अंकेक्षण को निम्न के सम्बन्ध मे प्रबन्ध से पूछताछ करना चाहिए।

A. उपक्रम के सम्बन्धित पक्षकारों की पहचान जिसमें पूर्व अवधि के परिवर्तन भी शामिल है।

CA Aseem Trivedi

B. उपक्रम तथा इन सम्बन्धित पक्षकारों के बीच के सम्बन्धों की प्रकृति।

C. क्या उपक्रम ने अवधि के दौरान इन सम्बन्धित पक्षकारों से कोई लेन–देन किया है यदि किया है तो उस लेन–देन का प्रकार व उद्देश्य

चरण – 2 नियंत्रण के बारे में पूछताछ –

अंकेक्षक को निम्न के लिए प्रबन्ध द्वारा अपनाए गए आन्तरिक नियंत्रणों के बारे में पूछ–ताछ करना चाहिए।

A. लागू होने वाली वित्तीय प्रतिवेदन संरचना के अनुसार सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्ध तथा लेन–देनों की पहचान, उनका लेखांकन तथा प्रकटीकरण

B. सम्बन्धित पक्षकारों के साथ किए गए अधिकृत तथा अनुमोदित महत्वपूर्ण लेन–देन तथा समझौते

C. अधिकृत तथा अनुमोदित महत्वपूर्ण लेन–देन तथा समझौते जिन्हें व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के बाहर किया है।

चरण – 3 सावधानी बरतना –

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक को सावधान रहना चाहिए जब समझौते तथा अन्य सूचनाओं के लिए अभिलेखों तथा प्रलेखों की जांच की जाती है तो वह उन सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्धों तथा लेन–देनों की विद्यमानता को इंगित कर सकते है जिन्हें प्रबन्ध द्वारा पूर्व में नहीं पहचाना गया था अथवा अंकेक्षक को नहीं बताया गया था।

चरण – 4 इंगेजमेन्ट टीम के साथ सम्बन्धित पक्षकारों की सूचना को बताना –

अंकेक्षक को उपक्रम के सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को इंगेजमेन्ट टीम के अन्य सदस्यों के साथ बाटना चाहिए।

चरण – 5 उपरोक्त के आधार पर अंकेक्षण प्रविधियों को डिर्जाइन करना –

उपरोक्त प्रविधियों को लागू करने के पश्चात् यदि अंकेक्षक कपट की जोखिम के तथ्यों को पहचान लेता है (इसमें वह परिस्थितियॉ भी शामिल है जो एक सम्बन्धित पक्षकार की विद्यमानता तथा प्रभावी दबाव से सम्बन्धित है) तो अंकेक्षक को सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्ध में जोखिम निर्धारण प्रविधियों तथा सम्बन्धित गतिविधियों का निष्पादन कर निर्धारित जोखिमक ा प्रत्युत्तर देना चाहिए। अंकेक्षक को सारवान मिथ्यावर्णन कि निर्धारित जोखिम के बारे में पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऐसी अन्य अंकेक्षण प्रविधियों कि डिजाइन तथा निष्पादन करना चाहिए जो सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्धों तथा लेन–देनों से जुड़ी है।

चरण – 6 अंकेक्षण प्रविधियों के परिणामों का प्रत्युत्तर –

A. जब अंकेक्षक ऐसे सम्बन्धित पक्षकारों की पहचान करता है जिन्हें पूर्व में पहचाना नहीं गया था अथवा प्रकट नहीं किया गया था अथवा उन महत्वपूर्ण लेन–देनों की पहचान करता है जो सम्बन्धित पक्षकारों से किए गए थे तो अंकेक्षक को

(a) इस संबंध में प्राप्त जानकारी को इंगेजमेंट टीम के अन्य सदस्यों के तुरन्त सम्प्रेषित करना चाहिए।

(b) जहॉ लागू होने वाली वित्तीय प्रतिवेदन संरचना सम्बन्धित पक्षकारों की आवश्यकता को स्थापित करती है वहॉ –

(i) प्रबन्ध से प्रार्थना करना कि वह अंकेक्षक के अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए नये पहचाने गए सम्बन्धित पक्षकारों के साथ सभी लेन–देनों को पहचाने।

(ii) यह पूछताछ करना कि उपक्रम क्यों सम्बन्धित पक्षकारों सम्बन्धों अथवा लेन–देनों को पहचानने अथवा उनको अभिव्यक्त करने में असफल रहा है।

(iii) ऐसे पहचाने गए नये सम्बन्धित पक्षकारों अथवा महत्वपूर्ण लेन–देनों के सम्बन्ध में उचित सम्पुष्ट अंकेक्षण प्रविधियों का निष्पादन करना इस बात की जोखिम को ध्यान में रखना कि अन्य सम्बन्धित पक्षकार अथवा सम्बन्धित पक्षकार के साथ किए गए महत्वपूर्ण लेन–देन विद्यमान हो सकते है जिन्हें पूर्व में प्रबन्ध द्वारा नहीं पहचाना गया था अथवा अंकेक्षक को नहीं बताया गया था तथा यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त अंकेक्षण प्रविधियों का निष्पादन करना।

(iv) यदि यह प्रकट होता है कि प्रबन्ध द्वारा जान–बूझ कर उनका प्रकटीकरण नहीं लिया गया है (तथा इसलिए कपट के कारण सारवान मिथ्यावर्णन की जोखिम इंगित होती है) अंकेक्षण के लिए उलझनों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए।

B. सम्बन्धित पक्षकारों के साथ किए गए उन महत्वपूर्ण लेन–देनों को पहचानना जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के बाहर किए गए है।

(i) तो अंकेक्षक को उन अर्न्तनिहत अनुबन्धों अथवा समझौतो की जांच करके यदि कोई हो तो यह मूल्यांकित करना चाहिए कि

CA Aseem Trivedi

- लेन–देनों की शर्तो प्रबन्ध के स्पष्टीकरणों से संगत है तथा
- लागू होने वाले वित्तीय प्रतिवेदन संरचना के अनुसार लेन–देनों को उचित रूप से लेखांकित तथा अभिव्यक्त किया गया है
- इस बारे में साक्ष्य प्राप्त करना कि लेन–देन उचित रूप से अनुमोदित और अधिकृत किए गए है।

C. प्रचलित बाजार मूल्य के बारे में निष्कर्ष –

अंकेक्षक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या सम्बन्धित पक्षकारों के साथ किए गए लेन–देन उन शर्तो पर सम्पादित किए गए है जो एक हाथ की दुरी में किए गए प्रचलित लेन–देनों के बराबर है।

चरण – 7 अंकेक्षण निष्कर्ष तथा प्रतिवेदन –

SA-700 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अपनी राय कायम करने में अंकेक्षक को यह मूल्यांकित कर लेना चाहिए कि –

(a) क्या वहचाने गए सम्बन्धित पक्षकार के सम्बन्धों अथवा लेन–देनों को लागू होने वाली वित्तीय प्रतिवेदन संरचना के अनुसार उचित रूप से लेखांकित तथा अभिव्यक्त किया गया है।

(b) क्या सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्ध तथा लेन–देन के प्रभाव

(a) (i) वित्तीय विवरणों को सही तथा उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त करने से रोकती है।

(b) (ii) इसके कारण वित्तीय विवरण भ्रामक हो सकते है।

चरण– 8 अन्य ध्यान देने योग्य बातें –

1. लिखित विवरण –

जहॉ लागू होने वाली वित्तीय संरचना सम्बन्धित पक्षकारों की आवश्यकता को स्थापित करती है जो अंकेक्षक को प्रबन्ध से तथा जहॉ उपयुक्त हो वहॉ प्रबन्ध के लिए प्रभारित व्यक्ति से लिखित विवरण–प्राप्त कर लेना चाहिए कि –

अ. उन्होने अंकेक्षक को पहचाने गए उन सभी सम्बन्धित पक्षकारों तथा सम्बन्धों तथा लेन–देनों के बारे में बता दिया है जो उनकी जानकारी में थे।

ब. संरचना की आवश्यकता के अनुसार सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्धों तथा लेन–देनों को उचित रूप से लेखांकित तथा अभिव्यक्त कर दिया है।

2. प्रबन्ध के लिए प्रभारित व्यक्तियों के साथ सम्प्रेषण –

जब तक प्रबन्ध के लिए प्रभारित व्यक्ति उपक्रम के प्रबंध में शामिल है तो अंकेक्षक को उपक्रम के सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्ध में इन महत्वपूर्ण विषयों को प्रबन्ध के लिए प्रभारित व्यक्तियों को सम्प्रेषित करना चाहिए जो अंकेक्षण के दौरान उत्पन्न हुए है।

CA Aseem Trivedi